



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/8589 /2025

दिनांक: 05 अगस्त, 2025

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:-भारत सरकार द्वारा संचालित योजना PM-Vidyalaxmi PM-USP CSIS के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्र संख्या: डिग्री विकास/1332/2025-26, दिनांक: 04 अगस्त, 2025 के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या: 131 भा0स0/सत्तर-3-2025-1953159, दिनांक 28 जुलाई, 2025 (छायाप्रतियाँ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना PM-Vidyalaxmi PM-USP CSIS के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत जनजागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुपालन में सन्दर्भगत योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से विश्वविद्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे तदनुक्रम में शासन को आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एल0 पाल)

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 1332 /2025-26

दिनांक - 04/08/2025

विषय - भारत सरकार द्वारा संचालित योजना PM - Vidyalaxmi PM - USP CSIS के व्यापक प्रचार - प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 131 भा०स०/सत्तर - 3 - 2025 - 1953159 दिनांक 28 जुलाई, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो भारत सरकार द्वारा संचालित योजना PM - Vidyalaxmi PM - USP CSIS के व्यापक प्रचार - प्रसार के सम्बन्ध में है।

आप सभी कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र में दिये गये निर्देश के क्रम में अपेक्षानुसार एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त की समस्त कृत कार्यवाही की आख्या निदेशालय की ई - मेल आईडी 0 dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध करायें जिससे शासन को समयान्तर्गत आख्या/सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by

SHASHI KAPOOR

Date: 04-08-2025

12:51:03

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त से प्रदेश के समस्त निजी विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

डॉ० (शशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

E Comp No. 1030219

संख्या-131 भा0स0/सत्तर-3-2025-1953159

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।उच्च शिक्षा अनुभाग-3लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2025

विषय: भारत सरकार द्वारा संचालित योजना "PM-Vidyalaxmi" "PM-USP CSIS" के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii), दिनांक 15.07.2025 (छायाप्रति संलग्न), जो मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को सम्बोधित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित योजना "PM-Vidyalaxmi" एवं "PM-USP CSIS" की जानकारी सक्रिय रूप से प्रसारित करने के निर्देश देने की अपेक्षा की गयी है, ताकि जन जागरूकता बढ़े एवं उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता मिले। योजना का बहुभाषी पैम्फलेट पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर उपलब्ध है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षा के क्रम में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही करने एवं समयान्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।Digitally signed by
PREM KUMAR PANDHEY,
Date: 25-07-2025
18:11:09(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

डा. अमिता सिंह
28/7/2025
(19)
विक्रम
28/7/2025

131-2110 650

24250 MS/SECY GI/2025

डॉ. विनीत जोशी, भा.प्र.से.
सचिव

Dr. VINEET JOSHI, IAS
Secretary

Tel. 011-23386451, 23382698
E-mail secy.dhe@nic.in



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
शिक्षा मंत्रालय

Ministry of Education
उच्चतर शिक्षा विभाग

Department of Higher Education

127 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110 001
127 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

D.O. No. 39-2/2025-CSIS-Part(1)(ii)

Dated: 15th July, 2025

Dear Madam/Sir,

दिनांक 15.7.25

I am pleased to inform you that the Government of India has launched a new central sector scheme "PM-Vidyalaxmi" to provide collateral-free and guarantor-free education loans to students admitted to top-quality higher education institutions, with a 3% interest subvention for loan upto Rs 10 lakhs with annual family income up to ₹8 lakh. Another central sector scheme "PM-USP CSIS" provides full interest subsidy during the moratorium period on education loans upto 10 lakhs for students with annual family income up to ₹4.5 lakh, pursuing professional or technical courses in India from specific institutions. Additionally, under the Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL), the Government provides up to 75% guarantee cover on education loans up to ₹7.5 lakh, without the need for collateral or third-party guarantee. Applications for these schemes may be submitted online at <https://pmvidyalaxmi.co.in>. The detailed guidelines are available at <https://www.education.gov.in/en/scholarships-education-loan-4>.

2. In this context, you would appreciate that awareness of education loan and interest subvention schemes is vital to broaden their reach and promote effective utilization. It would be very helpful if you can arrange to instruct the State Level Bankers Committee (SLBC) and corresponding District Level Consultative Committees (DLCCs) to proactively disseminate information on these education loan and interest subvention schemes through local platforms—including State Education Boards, schools, Banks, and Regional Rural Banks (RRBs)—to raise public awareness and support effective implementation. Multi-lingual pamphlets regarding this are available in the PM Vidyalaxmi portal for immediate use.

With regards,

3600 (US (T)/25
US/50-3

Yours sincerely,

(Dr. Vineet Joshi)

To:

The Chief Secretaries of all States/UTs (संक्षिप्त सूची में)
उत्तर प्रदेश शासन।

22.07.2025

उत्तर प्रदेश शासन

16/07/25
विशेष सचिव एवं स्टाफ ऑफिसर,
उत्तर प्रदेश शासन।

वि.सं. (ग.स.स.)

18/07/25
(एम.पी.ओ. अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

Dissemination of information related to education loan and interest subvention schemes at local level

Education Loan- Interest Subvention Section < moe-elis@gov.in >

Wed, 16 Jul 2025 2:25:49 PM +0530

To "cs-andamannicobar"<cs-andamannicobar@gov.in>,"cs"<cs@ap.gov.in>,"cs-arunachal"<cs-arunachal@nic.in>,"cs-assam"<cs-assam@nic.in>,"cs-bihar"<cs-bihar@nic.in>,"csofficecg"<csoffice.cg@gov.in>,"cs-goat"<cs-goat@nic.in>,"csdelhi"<csdelhi@nic.in>,"chiefsecretary"<chiefsecretary@gujarat.gov.in>,"cs-haryana"<cs-haryana@nic.in>,"cs-hp"<cs-hp@nic.in>,"cs-jharkhand"<cs-jharkhand@nic.in>,"cs-jandk"<cs-jandk@nic.in>,"cs"<cs@karnataka.gov.in>,"chiefsecy"<chiefsecy@kerala.gov.in>,"cs"<cs@mp.nic.in>,"cs"<cs@maharashtra.gov.in>,"cs-manipur"<cs-manipur@nic.in>,"cso-meg"<cso-meg@nic.in>,"cs-mizoram"<cs-mizoram@nic.in>,"csngl"<csngl@nic.in>,"csori"<csori@nic.in>,"cs"<cs@py.gov.in>,"cs"<cs@punjab.gov.in>,"csraj"<csraj@rajasthan.gov.in>,"cs-skm"<cs-skm@hub.nic.in>,"cs"<cs@tn.gov.in>,"Cs"<Cs@telangana.gov.in>,"cs-tripura"<cs-tripura@nic.in>,"csup"<csup@nic.in>,"csuttaranchal"<csuttaranchal@nic.in>,"cs-westbengal"<cs-westbengal@nic.in>,"devcom-d"<devcom-d@nic.in>,"advisor-dnhdd"<advisor-dnhdd@daman.nic.in>,"cs-chd"<cs-chd@chd.gov.in>,"adviser-chd"<adviser-chd@nic.in>,"lk-advisor"<lk-advisor@gov.in>,"psadvisor"<ps.advisor@ladakh.gov.in>

Cc "pkbanerjee"<pk.banerjee@nic.in>,"sangeetkumar"<sangeet.kumar@nic.in>,"RADHIKA GOEL"<radhika.edu@gov.in>,"Nitin Yadav"<nitinyadav.edu@gov.in>,"Vijender Saini"<vijender.saini@gov.in>

Please find attached DO letter dated 15.07.2025 regarding dissemination of information related to education loan and interest subvention schemes at local level.

Regards,
Education Loan-Interest Subvention Section
Scholarship Division
Department of Higher Education



शिक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
EDUCATION

1 Attachment(s)

DO letter dated 15.07.2025.pdf

१५७ ३ ५३